

..... कठूमर जिला अलवर

..... उपखण्ड

..... तारीख रजू.....

..... बनाम .....  
सुरेन्द्र राजेश

|       |                                    |   |
|-------|------------------------------------|---|
| ..... | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख<br>अहकाम जो इस हुक्म<br>की तामील में जारी हुए |
|-------|------------------------------------|---|

...../...../.....

डिप्टी डाय मय वकील उपस्थित। यह  
 प्र० पत्र इजाजत वकील डिप्टी डाय व  
 पेश किया। उर्वरधिक को नए  
 कदम के अहकाम इस अहकाम  
 जारी हो गये किसी न्यायालय का  
 स्वागत अदेश नहीं होना मुनाकिठ  
 निर्दिष्ट व गडिकी राजसभ रिपोर्ट में  
 अमल किया जावे। पालका रिपोर्ट  
 तलब होकर पत्रावली दिनांक 27/4/18  
 को पेश हो

..... अधिकारी  
 (उपखण्ड अलवर)

27/4/18

प्रकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित लोक  
 अदालत/कैम्प कोर्ट में रखने योग्य माना है। अतः पत्रावली  
 लोक अदालत में पंजायत पत्रावली में.....

5/6/18

..... अधिकारी  
 (अलवर)

CAMP  
 1798  
 23/5/18

02/06/18

पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई।  
 मुनाकिठ रिपोर्ट पत्रावली अलका/नए  
 कदम के गडिकी की पालका के इन्वॉल  
 नं- 546 डिकेक 06.03.18 पर  
 होकर पेश हो रहा है। कोर्ट कार्यवाही